

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-89ए/2015  
संस्थापन दिनांक-03.09.2015  
फाईलिंग क्र. 234503009562015

1. श्रीमती शरद परवीन आयु 42 वर्ष बेवा स्व0 मिर्जा इशितयाक बेग,
2. नेहाल बेग आयु 21 वर्ष पिता स्व0 मिर्जा इशितयाक बेग,
3. रेहान बेग आयु 17 वर्ष पिता स्व0 मिर्जा इशितयाक बेग,  
नाबालिग वली माता शरद परवीन आयु 42 वर्ष बेवा स्व0 मिर्जा इशितयाक बेग,  
सभी जाति मुसलमान एवं निवासी वार्ड नं. 13, सियारपाठ रोड, बैहर तहसील बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **वादीगण**

**विरुद्ध**

1. श्रीमती जबीन बानो द्वारा अब्दुल हफीज खान पिता अब्दुल खुददुस खान,  
जाति मुसलमान निवासी डी.ब्लॉक मकान नं. 97/6, इंदिरा नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
2. आम जनता

----- **प्रतिवादीगण**

**:-// / निर्णय / /:-**

**(आज दिनांक-08/03/2016 को घोषित)**

- 1- वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग के मृत्यु पूर्व प्रतिवादी क्रमांक-1 से विधिवत् तलाक होने तथा स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की वादी क्रमांक-1 विवाहिता पत्नी तथा वादी क्रमांक-2 एवं 3 पुत्रगण होने की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
- 3- वादीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की प्रथम पत्नी थी, जिसको वर्ष 1990 में मिर्जा इशितयाक बेग ने विधिवत् तलाक दे दिया था। वादी क्रमांक-1 का विवाह स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग से दिनांक-10.08.1992 को हुआ था। वादी क्रमांक-1 को उसके पति स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वहन के दौरान दो पुत्रगण वादी क्रमांक-2 नेहाल एवं वादी क्रमांक-3 रेहान उत्पन्न हुये। वादी क्रमांक-1 के पति

स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग वकालत का व्यवसाय करते थे उसके पूर्व वे एअरफोर्स में सार्जेंट के पद पर कार्यरत थे तथा उनका प्रथम विवाह प्रतिवादी क्रमांक-1 से होने के कारण उनकी सर्विस बुक में बतौर पत्नी प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम इन्द्राज कराया गया था। स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग ने प्रतिवादी क्रमांक-1 से तलाक के पश्चात् वादी क्रमांक-1 से विवाह होने की जानकारी सेना मुख्यालय को प्रेषित की थी। स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की दिनांक-21.03.2015 को अचानक मृत्यु हो गई। वादी क्रमांक-1 के द्वारा उसके स्वर्गीय पति की मृत्यु उपरान्त फैमिली पेंशन एवं अन्य हित लाभ प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किये जाने पर वायु सेना मुख्यालय से उसे इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ कि स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की विवाहिता पत्नी होने तथा प्रतिवादी क्रमांक-1, स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग से तलाकशुदा होने की घोषणा न्यायालय से करवाये, जिस पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की प्रतिवादी क्रमांक-1 से विधिवत् तलाकशुदा पत्नी एवं वादी क्रमांक-1 विवाहिता पत्नी, वादी क्रमांक-2 एवं 3 पुत्रगण होने की घोषणा का अनुतोष चाहा है।

4- प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं 2 एकपक्षीय है तथा उनकी ओर से कोई लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।

5- प्रकरण के विधिपूर्ण निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं :-

1-क्या स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की प्रतिवादी क्रमांक-1 तलाकशुदा पत्नी है ?

2- क्या स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की वादी क्रमांक-1 वैध विवाहिता पत्नी एवं वादी क्रमांक-2 व 3 पुत्रगण है ?

3-सहायता एवं व्यय ?

### विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण

6- वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-2 पेश किया है जिसमें उनकी मृत्यु दिनांक-21.03.2015 दर्ज होना प्रकट होता है। मिर्जा इशितयाक बेग का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श पी-3, आधार कार्ड प्रदर्श पी-4, परिवार पत्र प्रदर्श पी-5 पेश है। वादी क्रमांक-1 का आधार कार्ड प्रदर्श पी-6, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र प्रदर्श

पी-7, ड्रायविंग लाईसेंस प्रदर्श पी-8, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बचत खाता पासबुक प्रदर्श पी-9 में वादी के पति के रूप में मिर्जा इशितयाक बेग का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। इसी प्रकार वादी क्रमांक-2 नेहाल का जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-10 एवं स्कूल अंक सूची प्रदर्श पी-11 में माता का नाम शरद परवीन और पिता का नाम एम.आई. बेग लेख होना प्रकट होता है। रेहान बेग के आधार कार्ड प्रदर्श पी-12, जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-13 एवं स्कूल अंक सूची प्रदर्श पी-14 में भी उसकी माता का नाम शरद परवीन और पिता का नाम मिर्जा इशितयाक बेग लेख होना प्रकट होता है।

7— वादीगण ने निकाहनामा प्रदर्श पी-15 एवं उसका अनुबंध पत्र प्रदर्श पी-17 पेश किया है जिसमें वादी क्रमांक-1 का मिर्जा इशितयाक बेग से दिनांक-10.08.1992 को निकाह होना उल्लेख है।

8— वादीगण ने अपने समर्थन में स्वयं वादी शरद परवीन (वा.सा.1), मन्सुर अहमद (वा.सा.2), मेजर मिर्जा रईस बेग (वा.सा.3) के कथन कराये हैं जिन्होंने वादपत्र के अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुये अपनी साक्ष्य में बताया है कि स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग ने वर्ष 1990 में उसकी प्रथम पत्नी प्रतिवादी क्रमांक-1 जबीन बानो को मुस्लिम धर्म जाति रीति रिवाज के अनुसार तलाक दे दिया था। उसके बाद मिर्जा इशितयाक बेग का विवाह दिनांक-10.08.1992 को परसवाड़ा में मुस्लिम धर्म जाति रीति रिवाज के अनुसार वादी क्रमांक-1 से सम्पन्न हुआ था। स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग के साथ दाम्पत्य जीवन निर्वाहन के दौरान वादी क्रमांक-1 को दो पुत्रगण कमशः वादी क्रमांक-2 नेहाल बेग एवं वादी क्रमांक-3 रेहान बेग उत्पन्न हुये हैं। स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग वकालत के व्यवसाय के पहले एअरफोर्स में सार्जेंट के पद पर कार्यरत थे उस समय उनका प्रतिवादी क्रमांक-1 से विवाह अस्तित्व में होने के कारण उन्होंने अपनी सर्विस बुक में बतौर पत्नी प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम इन्द्राज कराया था तथा तलाक होने के पश्चात् उक्त की जानकारी सेना मुख्यालय को प्रस्तुत की थी। वादीगण की ओर से वायु सेना मुख्यालय भूतपूर्व वायु योद्धा निदेशालय की ओर से वादी क्रमांक-1 को प्रेषित पत्र दिनांक-22.05.2015 प्रदर्श पी-1 पेश किया है जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 तलाकशुदा पत्नी और वादी क्रमांक-1 वैध विवाहिता पत्नी होने की घोषणार्थ अनुज्ञप्ति न्यायालय से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

9— वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण एकपक्षीय होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य अखण्डित रही है। इस कारण वादीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। वादीगण ने यह प्रमाणित किया है कि स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की प्रतिवादी क्रमांक-1 जुबीन बानो तलाकशुदा पत्नी है तथा वादी क्रमांक-1 वैध विवाहिता पत्नी है। वादीगण ने यह भी प्रमाणित किया है कि वादी क्रमांक-2 एवं 3 स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की विवाहिता पत्नी शरद परवीन से उत्पन्न पुत्रगण हैं। इस प्रकार विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 2 वादीगण के पक्ष में "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

### सहायता एवं व्यय

10— वादीगण ने अपना वाद प्रमाणित किया है। अतएव वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उनके पक्ष में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

- (1) प्रतिवादी क्रमांक-1, स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की तलाकशुदा पत्नी है।
- (2) वादी क्रमांक-1, स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग की वैध विवाहिता पत्नी है।
- (3) वादी क्रमांक-2 एवं 3, स्वर्गीय मिर्जा इशितयाक बेग के पुत्रगण हैं।
- (4) उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर